

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

कोविड-19
अति आवश्यक

क्रमांक कोरोना/2020/909

दिनांक: 28-7-20

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
राजस्थान।

विषय :-कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु राज्य भर में नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के प्रबंधन में व्याप्त घोर अनियमितताओं एवं समस्याओं के संबंध में आवश्यक राज्य स्तरीय निर्देश शीघ्र जारी किये जाने बाबत।

सन्दर्भ:- प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन (एकीकृत) 7 सवाई मान सिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर का पत्रांक आरआरएमएयू/2020/3075-79 दिनांक 21.04.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा कोविड-19 में लगे हुए चिकित्सा कर्मियों की निम्न समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया है:-

1. रोकथाम हेतु अनिवार्य निर्देश
2. क्वारेन्टाईन व्यवस्था
3. सुव्यवस्थित ड्यूटी प्रणाली
4. चिकित्सा कर्मियों हेतु TC-PCR जांच
5. सुरक्षा साधनों की आपूर्ति
6. पुख्ता सुरक्षा प्रबंधन
7. प्रोत्साहन राशि का भुगतान

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीनस्थ कार्यरत समस्त चिकित्सा कर्मियों को नियमानुसार उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करावें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक: 28-7-20

क्रमांक कोरोना/2020/909

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र प्रेषण क्रमांक 595269 दिनांक 24.04.2020 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 3170 दिनांक 04.05.2020 के क्रम में।
3. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, राचि., सीएचसी, पीएचसी एवं एमसीडब्ल्यूसी सेन्टर राजस्थान।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने वास्ते।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।